अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का न्यायालय

रे0 मि0 केश सं0– 15/19–20

बैजनाथ यादव बनाम् रैयान मौजा–धरमपुरघाट

:–आदेश:–

20.09.2024

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, महागामा का पत्रांक–67/रा0 दिनांक–13.02.2020 के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि बैजनाथ यादव प्रधान, मौजा–धरमपुरघाट, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के द्वारा अजय प्रसाद यादव को मौजा–धरमपुरघाट नं0–520 जमाबंदी नं0–17, दाग नं0–76, रकवा–01–13–12 धूर भूमि को प्रधानी पट्टा सम्पुष्टि को लेकर है। तद्नुसार उभय पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा अपने विज्ञ अधिवक्ताओ के माध्यम से कारणपृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातो का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–67/रा0, दिनांक–13.02.2020 के द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–धरमपुरघाट के ग्राम प्रधान श्री बैजनाथ यादव के द्वारा दाग नं0–78, रकवा–01–13–12 धूर भूमि का पट्टा सम्पुष्टि से संबंधित आवेदन पत्र का जाँच राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम प्रधान श्री बैजनाथ यादव के द्वारा दिये गये पट्टा सम्पुष्टि आवेदन में वर्णित भूमि मौजा–धरमपुरघाट, थाना नं0–520, जमाबंदी नं0–17, दाग नं0–76, कुल रकवा–01–13–12 धूर भूमि किस्म–धानी दोयम गेंजर सर्वे खतियान में सालीक साहु वल्द गिरधारी साहु कौम–हलवाई साकिन–महागामा के नाम से दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के रा0वि0वाद सं0–06/2016–17 बैजनाथ यादव प्रधान बनाम् पवन साह वगै0 में पारित आदेश दिनांक–03.02.2018 के द्वारा मौजा–धरमपुरघाट, थाना नं0–520, जमाबंदी नं0–17, दाग नं0–76, कुल रकवा–01–13–12 धूर भूमि किस्म–धानी दोयम भूमि फौत घोषित किया गया है। मौजा–धरमपुरघाट को उपरोक्त भूमि मौजा–धरमपुरघाट, थाना नं0–520, जमाबंदी नं0–17 दाग नं0–76 कुल रकवा–01–13–12 धूर भूमि किस्म धानी दोयम का पट्टा दिनांक–15.05.2018 को बन्दोबस्ती पट्टा निर्गत किया गया है, भमि का चौहद्दी उ0–होरील साह, द0–सीमाना मौजा लोगॉय, पू0–सड़क, प0–शेख नेमानी है। श्री अजय प्रसाद यादव को अपनी पैतृक भूमि 00–15–00 धूर भूमि है। पट्टा बन्दोबस्तदार भूमिहीन रैयत है। आवेदक पिता से विगत 10–12 वर्षो से अलग रहते है। प्रस्तावित मौजा में आदिवासी एवं हरिजन रैयत नहीं है। भूमि पर पट्टादार का दखल कब्जा है। संथाल परगना कास्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 के धारा 28 में निहित है कि "the process of settlement of abandoned holdings with member of headman's family should be treated as retentions by the pradhan, and not re-settlement with raiyats." साथ ही SPT धारा 28 के अन्तर्गत commants & case (II) की प्रति भी संलग्न की जा रही है। अतः उपरोक्त के आलोक में प्रधान के द्वारा श्री अजय प्रसाद यादव को पट्टा निर्गत भूमि मौजा–धरमपुरधाट, थाना नं0–520, जमाबंदी नं0–17, दाग नं0–76 कुल रकवा–01–13–12 धूर भूमि किस्म धानी दोयम की सम्पुष्टि के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रधान के द्वारा श्री अजय प्रसाद यादव को पट्टा निर्गत भूमि मौजा–धरमपुरधाट, थाना नं0–520, जमाबंदी नं0–17, दाग नं0–76 कुल रकवा–01–13–12 धूर भूमि किस्म धानी दोयम की सम्पुष्टि प्रदान की सहमति दी जाती है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, महागामा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

20/9/24

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

20/9/24

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by ASHOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 16:33:47 +05:30
Location: 192.168.1.51